

आवेदन पत्र सं. :

दिनांक:



फोटो  
(फोटोग्राफ पर  
हस्ताक्षर)

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत ऋण हेतु आवेदन प्रपत्र  
(शिशु के तहत 50,000 / रुपये तक के ऋण)

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की शाखा का नाम, जहां से ऋण की आवश्यकता है \_\_\_\_\_

मैं इसके द्वारा \_\_\_\_\_ रुपये के \_\_\_\_\_ के लिए कैश क्रेडिट / ओवर ड्राफ्ट / सावधि ऋण हेतु आवेदन करता/ करती हूँ।

आवेदक(कों) का नाम	1. 2.		पिता / पति का नाम		1. श्री 2. श्री	
घटक (✓)	व्यक्ति	संयुक्त	मालिक	भागीदारी	अन्य	
आवासीय पता						किराए पर / स्वामित्व
व्यवसाय का पता						किराए पर / स्वामित्व
जन्म तिथि			आयु	लिंग: पुरुष / महिला / टीजी		
शैक्षणिक योग्यता	अशिक्षित	10 <sup>वीं</sup> तक	12 <sup>वीं</sup> तक	स्नातक	पेशेवर	अन्य लोग
केवाईसी दस्तावेज	मतदाता पहचान सं.	आधार कार्ड सं.		ड्राइविंग लाइसेंस सं.	अन्य कोई	
आईडी प्रमाण (कृपया बताएं)						
पता प्रमाण (कृपया बताएं)						
टेलीफोन संख्या:	मोबाइल सं:		ईमेल आईडी:			
व्यावसायिक गतिविधि (प्रयोजन)	मौजूदा व्यवसाय		अवधि			
	प्रस्तावित व्यवसाय					
वार्षिक विक्रय (रुपये लाख में)	मौजूदा:		प्रस्तावित:			
अनुभव, यदि कोई हो						
सामाजिक श्रेणी (कृपया ✓ करें)	सामान्य	अजा	अजजा	अन्य पिछड़ा वर्ग	अल्पसंख्यक समुदाय	
यदि अल्पसंख्यक(✓)	बौद्ध	मुसलमान	ईसाई	सिख	जैन	पारसी / अन्य
ऋण राशि की आवश्यकता	सीसी / ओडी (रुपए में)			सावधि ऋण (रुपए में)		
उधारकर्ता की कुल निवल संपत्ति / आय : (रुपये लाख में) (विस्तृत अनुबंध में संलग्न किया जाए)						
मौजूदा खाता (खाते) के ब्योरा, यदि कोई हो	जमा खाता (बचत / चालू खाता)	बैंक का नाम		शाखा का नाम	खाता संख्या	
		1)				
	सावधि ऋण / नकद ऋण / ओवरड्राफ्ट खाते	बैंक का नाम		शाखा का नाम	खाता संख्या	
		1)				
2)						

## घोषणा

मैं /हम इसके द्वारा प्रमाणित कराते हैं कि मेरे /हमारे द्वारा दी गई सूचनाएं सत्य , सही एवं सम्पूर्ण हैं । मैंने /हमने आवेदन पत्र में किए गए उल्लेख के अतिरिक्त इस यूनिट के लिए कोई उधार व्यवस्था नहीं की है । मैंने /हमने किसी बैंक के पास आवेदन नहीं किया है । मेरे /हमारे जिम्मे कोई ओवरड्यू / सांविधिक बकाया नहीं है । मैं /हम अपने आवेदन के संदर्भ में बैंक द्वारा अपेक्षित सभी सूचनाएँ उपलब्ध कराएंगे । आपके द्वारा उन सूचनाओं का किसी भी एजेंसी के साथ , जिसे आप उचित समझें, विनिमय किया जा सकता है । आप , आपके प्रतिनिधि अथवा भारतीय रिजर्व बैंक या "मुद्रा " लिमिटेड अथवा आपके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य एजेंसी किसी भी समय मेरी / हमारी परिसंपत्तियों , लेखा - बहियों इत्यादि का निरीक्षण / सत्यापन ऋण आवेदन पत्र में उल्लिखित हमारी फैक्टरी / कारोबार परिसर में कर सकते हैं । आप बैंक के बकाए की वसूली के लिए उपयुक्त सुरक्षा उपाय /कार्रवाई कर सकते हैं ।

दिनांक :

स्थान :

आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर /अंगूठा

निशान

(केवल कार्यालय के उपयोग हेतु)

पावती पर्ची संख्या : ----- ऋण आवेदन संख्या ----- दिनांक

.....

दिनांक :

स्थान :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (शाखा की मोहर एवं

हस्ताक्षर )

----- यहाँ काटिए .....

पी एम एम वाई के अंतर्गत ऋण आवेदन की पावती- पर्ची की संख्या : ----- (आवेदक की प्रति )

श्री / श्रीमती -----से ..... रूप के लिए

दिनांक .....का ऋण आवेदन पत्र प्राप्त किया ।

दिनांक :

स्थान :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (शाखा की मोहर एवं

हस्ताक्षर )

## जाँच सूची : (आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़)

- 1) पहचान का सबूत – स्व अभिप्रमाणित मतदाता पहचान कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / पैन कार्ड / आधार कार्ड / पासपोर्ट /सरकार द्वारा जारी फोटो आईडी आदि ।
- 2) निवास का प्रमाण : हाल का टेलीफोन बिल / बिजली का बिल / संपत्ति कर रसीद (2 माह से अधिक पुराना नहीं) / मतदाता पहचान कार्ड / आधार कार्ड / व्यक्तिगत पासपोर्ट / स्वत्वधारी / पार्टनर्स के बैंक पासबुक या नवीनतम खाते के विवरण विधिवत बैंक अधिकारियों द्वारा अभिप्रमाणित / अधिवास प्रमाणपत्र / सरकार प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाणपत्र / स्थानीय पंचायत / नगर पालिका आदि
- 3) आवेदक के हाल के फोटोग्राफ की (2 प्रतियां) 6 महीने से अधिक पुराने न हो ।
- 4) मशीनरी/अन्य मदों की कोटेशन जो खरीदना हो ।
- 5) आपूर्तिकर्ता का नाम / मशीनरी का ब्योरा / मशीनरी की कीमत एवं या / वस्तुएं जो खरीदना है ।
- 6) पहचान का सबूत / व्यापार उद्यम का पता - संबंधित लाइसेंस की प्रति / पंजीकरण प्रमाण पत्र / स्वामित्व से संबंधित अन्य दस्तावेजों की प्रतियां, व्यापार इकाई के पते का सबूत, यदि कोई हो ।
- 7) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक आदि जैसी श्रेणी के सबूत
- 8) कुल निवल मूल्य पर अनुबंध / उधारकर्ता की आय अनुबंध-

## नोट :

- 1) शून्य प्रोसेसिंग शुल्क
- 2) शून्य संपार्श्विक
- 3) ऋण के चुकौती अवधि 5 साल तक बढ़ा दिया गया है
- 4) आवेदक किसी भी बैंक / वित्तीय संस्था का चूककर्ता नहीं होना चाहिए